रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261562
CG-DL-E-12032025-261562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946
No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

सा.का.नि. 172(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। **- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय**,** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**,** सुरक्षा स्कंध**,** कांस्टेबल (ड्राइवर)**,** समूह **'ग'** पद**,** भर्ती नियम**, 2025** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगीं जो उक्त अनुसूची के स्तंभ(5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, शेप-1 से विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है, कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण, अर्थात : -

एस - मनोवैज्ञानिक ;

एच - श्रवण शक्ति ;

ए - उपांग (अपैन्डेजेस) ;

पी - शारीरिक क्षमता ; और

ई - दृष्टि शक्ति।

6. अन्यदेशीयों की अपात्रता - कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान से संबन्धित किसी विषय की नियुक्ति या नियोजन को निवर्जित नहीं करेगी।

7. अधिवर्षिता : (1) इन नियमों के उपबंधों के अधिन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित नियमों के अनुसार सेवानिवृत होगा:

परंतु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न् में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु के परे सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांस्टेबल (ड्राइवर)।	3069*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	शैक्षिक अर्हताएं : (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) निम्नलिखित के लिए जो विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए क. भारी मोटर यान। ख. हल्के मोटर यान। ग. गियर सहित मोटर साइकिल। (iii) भारी मोटर यान या हल्के मोटर यान और मोटरसाइकिल चलाने का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण - हल्के मोटर यान अनुज्ञप्ति और भारी मोटर यान अनुज्ञप्ति अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् प्राप्त की जानी चाहिए। (ख) शारीरिक चिकित्सा मानदंड : (i) शारीरिक मानदंड : A. अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई - (क)

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखण्ड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	ऊंचाई: पुरुषों के लिए: 160 सेंटीमीटर; और स्त्रियों के लिए: 150 सेंटीमीटर; (ख) सीना: पुरुषों के लिए : बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर; फुलाकर: कम से कम पांच सेंटीमीटरका फुलाव; और स्त्रियों के लिए: लागू नहीं होता ; (ग) भार : पुरुषों और स्त्रियों के लिए: चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में। टिप्पण –अभ्यर्थियों को ऊंचाई और सीने की माप में छूट निम्नानुसार अनुज्ञेय होगी: – ऊंचाई: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और स्त्रियों के लिए 155 सेंटीमीटर होगी। सीना: डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए सीने की न्यूनतम माप; पुरुषों के लिए 78 सेंटीमीटर (फुलाव पर न्यूनतम 05 सेंटीमीटर) विस्तार के साथ होगी। ख. अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए - (क) ऊंचाई: पुरुषों के लिए: 167 सेंटीमीटर: और स्त्रियों के लिए: 157 सेंटीमीटर; (ख) सीना: पुरुषों के लिए: बिना फुलाए अस्सी सेंटीमीटर; फुलाकर: न्यूनतम पांच सेंटीमीटर का फुलाव; और स्त्रियों के लिए: लागू नहीं होता। (ग) वजन: पुरुषों और स्त्रियों के लिए: चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में। (ii) चिकित्सा मानदंड : क. नेत्र दृष्टि: बिना सुधार के यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम निकट और दूर की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, और ख. अभ्यर्थी के पैर अंर्तज्ञानु, सपाट, स्फीति शिरा या आंखों से त्रिर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंगदृष्टि और द्विनेत्री रंगदृष्टि होनी चाहिए। अभ्यर्थी का इशाहारा द्वारा रंग बोध-।। से परीक्षण किया जाएगा। उन्हें

	अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रूकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण- परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) दस प्रतिशत औद्योगिक उपक्रम के वॉच एंड वार्ड ओर्गनाइजेशन से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के माध्यम से जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा या दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन: केन्द्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन या औद्योगिक उपक्रम के वॉच एंड वार्ड ओर्गनाइजेशन के अधिकारी, - (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में औद्योगिक	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं - 1. ज्येष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट- अध्यक्ष; 2. उप कमांडेंट- सदस्य; 3. सहायक कमांडेंट – सदस्य।	लागू नहीं होता।

उपक्रम के वॉच एंड वार्ड ओर्गनाइजेशन में कांस्टेबल (ड्राइवर) के रूप में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर केंद्रीय पुलिस संगठन या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन में कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। टिप्पण : 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के केवल आमेलन पर विचार किया जाएगा।		

[फा. सं. ई-32012/04/2024/स्था.I]

पी.एस.डंगवाल, उप सचिव